राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2. जलपथ, गाढ़ीनगर, जयपुर

क्रमांक:- F. 11 (2(4)) मो./ M&E Meeting/ ICDS/2015/

जयपुर, दिनांक: 8-10-2015

बैठक कार्यवाही विवरण

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर की विभिन्न गतिविधियों की जिलेवार
समीक्षा हेतु समस्त जिलों के उपनिदेशकों की बैठक दिनांक 30.09.2015 को प्रातः 11:00 बजे निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में समागम महिला अधिकारिता विभाग,
झालावाड़ जंगली, जयपुर में प्रारम्भ की गई। बैठक में सहायकों की उपस्थिति परिशिष्ट "अ" के अनुसार
रही। जिन जिलों से उप निदेशक बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं उनको निदेशक महादेव ने गम्भीरता से
लिया है और आगे बैठक में उप निदेशकों को स्वयं को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक
की कार्यवाही विवरण विन्दुावर निम्नानुसार हैं:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>प्रभारी अधिकारी</th>
<th>विवाहारी बिन्दु एवं निर्देश</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सं.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.   | वित्तीय सलाहकार | RTSHG का भुगतान की समीक्षा जिलेवार की गई। जहां
      | मेल के (fa.wcd@rajasthan.g | भुगतान बकाया है, उन्हें शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।
      | ov.in)              | समुहीक बनत एवं बीमा योजना (GSLI) का प्रभुमार्ग समय पर
      |                    | जमा नहीं होने से यदि पहली लेख पहोची है तो संबंधित
      |                    | अधिकारी की जिम्मेदारी तथा की जायेगी।
      |                    | जिला/ परियोजना स्तरीय कार्यालय भवनों के किराये के लिए
      |                    | भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिये गये। |
| 2.   | उप निदेशक (प्रशासन) | कार्मिकों के परसंहल इनपोर्टेड सिस्टम के डाटा एंट्री के संबंध
      | मेल (dda.wcd@rajasthan | में परसंहल इनपोर्टेड सिस्टम (PIS) के अन्तर्गत विभिन्न फार्मास्ट
      | .gov.in)             | में शीघ्र प्रविधि करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
      |                    | माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अवमानना/ व्यावहारिक
      |                    | प्रकरणों में मंजूर रानी नदेहत्या नवाच सरकार के तहत जारी आदेशों
      |                    | के क्रम में भुगतान की शिकार की समीक्षा की गई। जहां भुगतान
      |                    | लम्बाई है, उनका भुगतान अवबिलब करने के निर्देश दिये गये।
      |                    | अपनी संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तथा की जायेगी।
      |                    | समस्त कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में एसीआर/ बच्चों की
      |                    | घोषणा संरक्षवार पृथक- पृथक प्रपत्र में भिजवाये जाने के निर्देश
      |                    | दिये गये। |
      |                    | समस्त कार्मिकों के एसीपी/ नियमनीकरण से संबंधित लम्बाई
      |                    | प्रकरण संरक्षवार पृथक- पृथक प्रपत्र में शीघ्र भिजवाये जाने के
      |                    | निर्देश दिये गये। |
      |                    | कार्मिकों के पेशेवर से संबंधित लम्बाई प्रकरण संरक्षवार पृथक–
      |                    | पृथक प्रपत्र में भिजवाये के निर्देश दिये गये। नैदेशक महादेव ने
      |                    | अग्रेक कहा कि पेशेवर समय पर नहीं देने के प्रकरण में दफ्तरित
      |                    | किये जाने का भी प्रबन्धन है और उसे ध्यान सहित पैशा दिया
      |                    | जाता है। अतः ऐसे मामले में सतर्क रहने को कहा गया। |
3. उप निदेशक (प्रशिक्षण) 
ई-मेल(ddt.wcd@rajasthan.gov.in)

| कार्यक्रम | वर्ष | अनुकूलित कार्यक्रम | विधेयक | निदेश | संबंधित नियम | अनुपालन कार्यक्रम के लिए निर्देशन | संबंधित विषय | निर्देश | लागू किए गए वर्ष | अनुपालन किया गया | लागू किया गया उपभोक्ता को निर्देश | आवश्यकता से संबंधित विषय | निर्देश | लागू किया गया उपभोक्ता को निर्देश | आवश्यकता से संबंधित विषय |
|---------|-----|-----------------|--------|--------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| तम्बे समय से स्वदेशिक अनुपस्थित कार्मिकों की सूचना निदेशालय में शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए दिये गये ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही आमल में लाई जा सके। | 2001-02 | 12 में अनुकूलित नियम तथा लिपिक जिनके हासरे दर्शन परीक्षा उत्तरीय उत्तरों की एवं जिनीहें उत्तरीय कर ली उनके प्रमाण-पत्र एवं कार्मिकों द्वारा परीक्षा उत्तरीय उत्तरों करने का स्पष्टीकरण सहित सूचना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। | अनुपालन के लिए जिलाः उप निदेशकों से वर्तमान संबंधित स्थिति एवं ग्रामीण एवं नगर विकास अधिकारियों के साथ पुनर्गठन की दृष्टि में कार्य योजना के संबंध में, समीक्षा कर एवं महत्त्व पर्यावरण एवं स्वास्थ्य वाणिज्य वाणिज्य परीक्षा परियोजना अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के दौरे पर निर्देश दिये गये। | यामी, शहरी एवं जनजातीय बाल विकास परियोजनाओं के पुनर्गठन के लिए, जिलाः उप निदेशकों से कर्मचारी वाणिज्य एवं ग्रामीण एवं नगर विकास अधिकारियों के साथ।
| 31 दिसम्बर, 2018 तक तीन वर्षों में संवारित होने वाले कार्मिकों की संरचना सूचना शीघ्र सूचीबद्ध करने के निर्देश प्रदान किये गये। | अनुपालन के लिए जिलाः उप निदेशकों से वर्तमान संबंधित स्थिति एवं ग्रामीण एवं नगर विकास अधिकारियों के साथ पुनर्गठन की दृष्टि में कार्य योजना के संबंध में, समीक्षा कर एवं महत्त्व पर्यावरण एवं स्वास्थ्य वाणिज्य वाणिज्य परीक्षा परियोजना अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के दौरे पर निर्देश दिये गये। | यामी, शहरी एवं जनजातीय बाल विकास परियोजनाओं के पुनर्गठन के लिए, जिलाः उप निदेशकों से कर्मचारी वाणिज्य एवं ग्रामीण एवं नगर विकास अधिकारियों के साथ।
| 04.06.2015 से पूर्व चयनित आंगनबाड़ी कार्यक्रमों एवं सहायिकाओं की सूचना 7 जिलों से प्राप्त नहीं हुई है, जिनका कार्य प्रशिक्षण नहीं हुआ है, शीघ्र सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये गये। | जिले के महिला पर्यावरण के नामक उपहारी जिनके पुनर्गठन प्रशिक्षण इस वर्ष (2015’16) में डूँ टू हैं, शीघ्र सूचीबद्ध कराने के निर्देश दिये गये। | प्रशिक्षण केंद्रों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। जहां भुगतान किया जाना चाहिए है उसे शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये। | प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता, निरीक्षण एवं नामांकित प्रशिक्षणाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। | राजस्थान समर्थक समिति के कई मामलों लागू हैं उनके निरस्त करने के लिए महत्वपूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। यह कार्य राजस्थान सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मोनिटरिङ जाती है। अतः इसको गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये गये। | प्राथमिक जांच के प्रक्रियाओं को निरस्त करने के निर्देश दिये गये। | पी.ए.आई.पी. पान का जांच प्राथमिकता से भाग लेने के लिए प्रति निदेशालय को समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। | प्राथमिक जांच नियम-16 के प्रमाण प्रक्रियाओं को भी समयावधि में ही निपटाने के निर्देश दिये गये। |
| 4. संयुक्त निदेशक (मोनेटारिंग) | बांधकाम क्रम में निर्माण की योजनावार (मिशनमोड, नाबार, एम.एस.डी.पी. एवं देवनारायण) समीक्षा की गई। नाबार योजना के अन्तर्गत निर्माण हुए कार्यों के विस्तार आवश्यक राशि को शीघ्र फिजवाने के निर्देश दिये गये।
| ई- मेल | देवनारायण योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में 42 कार्य निर्माण हुए है उन्हें उसी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थीरत कराकर निर्माण करवाने के निर्देश दिये गये।
| (jdm.wcd@rajasthan.gov.in) | वर्तमान में अक्रियाशील आगंतुकों को रिलीज़ करने हेतु भारत सरकार से सहानुभूति प्राप्त हो चुकी है। अतः अक्रियाशील कोनों की नामवार सूची विज्ञापनों के निर्देश दिये गये।
| राजीव गाँधी राष्ट्रीय क्रेडिट कयरे स्कीम के तहत एन.जी.ओ. के द्वारा सहायता एवं क्रेडिट कयरे की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजवाने के निर्देश दिये गये।
| राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेडिट कयरे स्कीम के तहत एन.जी.ओ. के द्वारा सहायता एवं क्रेडिट कयरे की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजवाने के निर्देश दिये गये।
| नन्दधर योजना की जिले बार समीक्षा की गई। नन्दधर योजना पर जितना सत्ता पर कार्यशालाएं आयोजित कर उसमें कलेक्टर महोदय या किसी जनप्रतिनिधि से उसका इनामशेष बनाकर के निर्देश प्रसार किये गये।
| आगंतुक कार्यक्रमें, सहायक का चयन हेतु समीक्षा की गई। नये चयन निर्देशों के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
| ग्रामीण, शाही एवं जनजाति परियोजनाओं के नये पंचायत समितियों के परिसंचन के साथ प्रसार बनाकर निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये।
| उप निदेशक कार्यलय के सत्ता से निदेशालय को प्राप्त होने वाली मासिक MIS या MPR में पाई जानेवाली विसंगतियों को सूचारुने के निर्देश दिये गये।
| 1 अगस्त, 2015 से आगंतुकों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से 2.00 किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये है।
| आगंतुकों के फिराये के बारे में (ग्रामीण तथा शाही) नये दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं, उनके अनुसार ही कार्यवाही करें।

| 5. अतिरिक्त निदेशक (स्थानीय) | विक्रेता मूल्य पूर्व पोषाहार वितरण की समीक्षा की गई। गस्त पोषाहार के बिलों की भुगतान समय पर करने के निर्देश दिये गये।
| ई- मेल (adn.wcd@rajasthan.gov.in) | इनके भुगतान को भी राजस्थान से जोड़ने के निर्देश दिये गये।
| विक्रेता एवं वैष्णव कुक्कों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये गये।
| मातृ समितियों को 4000- 4000 रूपये अधिक दिये गये ये उनकी वस्तुती होनी थी। 8 जिलों में मातृ समितियों या अनापूर्ण समितियों से वस्तुती करने के निर्देश दिये गये।
| मातृ समितियों को 4000- 4000 रूपये अधिक दिये गये थे उनकी वस्तुती होनी थी। 8 जिलों में मातृ समितियों या अनापूर्ण समितियों से वस्तुती करने के निर्देश दिये गये।
| नकाशा बाहनों की सूचना भिजवाने के निर्देश दिये गये।
| बाहन चालकों की सूचना भिजवाने के निर्देश दिये गये।
| यदि बाहन इतना ज्यादा खराब है तो कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उसी स्थान पर उसको नकाशा
घोषित कर निलामी की कार्यवाही की जा सकती है।

| 6. एनाजिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) | • राजप्रमाण ने संबंध में विचार- विमर्श किया गया। लोगिन, यूजरनेम व पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करने के निर्देश दिये गये।
• लीगल कंसैल के बारे में अतिरिक्त निदेशक (आईडीईसी) ने अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी को अपने सभी कोर्ट कंसैल की सूचना लाईट्स पर अपडेट करनी है।

सभी उप निदेशकों को निर्देशित किया गया कि वे आगामी बैठक में एनजेडा के अनुसार सूचना समय रहते भीजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सभी तरीकों से समीक्षा की जा सके तथा बैठक में उप निदेशक स्वयं उपस्थित रहे और यदि किसी कारणात्मक स्वयं उपस्थित नहीं हो सके तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अपने प्रतिनिधि में रूप में किसी कर्मवाली को न भेजवाकर किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी को नामांकित करें।

अंत में संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग) द्वारा बैठक की कार्यवाही सध्याचार समाप्त की गई।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:— F. 11 (2)( )मो./M&E Meeting/ICDS/2015/9 6305-35] जयपुर, दिनांक:
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. विशिष्ट सहयोग, माननीया राज्यमंत्री महोदया, (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण निदेशालय
5. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(अंक पूर्णिमा शामी)
संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।